

(ख) और (ग). फिलहाल प्रस्तावित लाइन का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि इस लाइन का निर्माण किया जावे तो आज के मूय स्तर के अनुसार इस पर लगभग 11.00 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अन्य बातों के साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेल लाइन बिछाने के संबंध में अपनी सिफारिशें बोजना आयोग को प्रस्तुत कर दी हैं। बोजना आयोग द्वारा इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। इस समिति द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ही इस प्रस्ताव पर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सकेगा।

Central Assistant for Anna Memorial Cancer Research Institute at Kancheepuram

3429. SHRI ERA ANBARASU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government of Tamil Nadu have sought any financial assistance from the Centre to develop the Anna Memorial Cancer Research Institute at Kancheepuram in Chingleput District of Tamil Nadu;

(b) whether Government have included the Anna Memorial Cancer Research Institute in the proposal to develop it as a Regional Cancer Centre; and

(c) if not, whether the Central Government propose to include the same in the list of institutions for which Central assistance is to be sanctioned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) and (b). No.

(c) Nine institutions in the country have already been listed for being developed as Regional Centres for Cancer Research and Treatment.

कुलियों के लिये सामूहिक बीमा योजना

3430. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुलियों और बंदरों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने का है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) कुलियों से बसूल किये जाने वाला लाइसेंस शुल्क कैसे और कहाँ खर्च किया जाता है ;

(ग) क्या निचमों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त कुलियों को उनसे लाइसेंस शुल्क लिए जाने के बाद बर्दियां दी जानी चाहिये और यदि हां, तो लखनऊ, मुरादाबाद, और इलाहाबाद डिब्बेजनों में बर्दियां न दिये जाने का क्या कारण है; और

(घ) लाइसेंस प्राप्त कुलियों के लिए किन-किन स्थानों पर रेलवेवार रिटायरिंग रूम बनाये गये हैं तथा किन-किन स्थानों पर रिटायरिंग रूम बनाए जा रहे हैं और इन स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर ऐसे कितने रूम बनाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-संबंधी (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) दिल्ली रेल, नयी दिल्ली और इजरत मिजामुद्दीन में पहले चरण में लाइसेंस धारियों के लिए सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव है। बंदरों के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). लाइसेंसधारी भारिकों की गैर नैमित्तिकरण योजना के अधीन, जो "लाभ नहीं हानि नहीं" आधार पर चलती है, पर्यवेक्षण तथा बर्दों की लागत के लिए लाइसेंस फीस प्रभारित की जाती है। पर्यवेक्षण तथा बर्दों की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप भारिकों को निशुल्क बर्दियां सप्लाई करना संभव नहीं है। जब तक लाइसेंस फीस में वृद्धि नहीं की जाती, जिसका लाइसेंसधारी भारिकों द्वारा विरोध किया जा रहा है, उत्तर रेलवे में कुछ स्टेशनों पर गैर नैमित्तिकरण योजना घाटे पर चल रही है। लाइसेंस फीस अलग-अलग स्टेशनों पर अलग-अलग होती है अतः बर्दियां उन्हीं स्टेशनों में सप्लाई

की जाती हैं जहां बर्दियों की लागत एकत्रित की गयी लाइसेंस फीस से पूरी की जा सकती है। इसी कारण से, उत्तर रेलवे मुरादाबाद और लखनऊ मंडलों में बर्दियां सप्लाई नहीं कर सकी है। इलाहाबाद मंडल में, इलाहाबाद और कानपुर को छोड़कर जहां लाइसेंस फीस कम है, सभी स्टेशनों पर बर्दियां सप्लाई की जाती हैं।

(घ) लाइसेंसधारी भारिकों के लिए किसी विश्रामगृह की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उनके लिए विश्राम आश्रय की व्यवस्था है जिन रेलों में लाइसेंसधारी भारिकों के उपयोग के लिए विश्राम आश्रयों की व्यवस्था है उनका व्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	जहां व्यवस्था है	निर्माणाधीन
1	2	3
मध्य	पुणे, कत्याण, नागपुर, कटनी, जबलपुर, आगरा कैंट और दौड़	कुछ नहीं
पूर्व	सियालदह, हावड़ा, पटना जं० और धनबाद	भागलपुर, वर्दमान, गया मनाघाट मुगलसराय, किउल
उत्तर	निजामुद्दीन, बरेली, हरिद्वार, देहरादून, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, जोधपुर जं० जालन्धर सिटी और नई दिल्ली।	रिवाड़ी, जम्मूतबी, अमृतसर और दिल्ली
पूर्वोत्तर	लखनऊ जं०, गोंडा, गोरखपुर, सोनपुर, बर्नपुर तथा समस्तीपुर	कुछ नहीं
पूर्वोत्तर-सीमा	सूचना उपलब्ध नहीं है	
दक्षिण	मद्रास, सैट्रल, मद्रास एषमबूर, मदुरै, तिरुचिरापल्लि जं०, बंगलूर, सिटी, मैसूर और तिरनेलवेली	कोयमबतूर जं०, इरोड, पालघाट जं०, कालीकट, आरकोणम मद्रास बीच, कटपाड़ी, जोला-रपेट्टे, ताम्बरम, कोल्लम और एर्नाकुलम

1	2	3
द० मध्य	विजयवाड़ा	कुछ नहीं
द० पूर्व	खड़गपुर, पुरी, वात्तेरु, विजयनगरम, ब्रह्मपुर (गंजम)	„
पश्चिम	बम्बई सेंट्रल, दादर और रतलाम	„

Extension of Bus Route No. 50 and 89 upto Nauroji Nagar

3431. SHRI MANOHAR LAI, SAINI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1469 on 27th November, 1980 regarding bus service between Nauroji Nagar and Central Secretariat and state:

(a) when the survey was made in which DTC authorities were satisfied with the present bus service;

(b) whether DTC authorities received proposals to extend the present route Nos. 50 and 89 to Nauroji Nagar or to start other routes so as to connect Nauroji Nagar in between;

(c) whether it is also a fact that there is heavy rush on route No. 610 and generally these buses do not stop at 'M' Avenue which is stated to be alternative bus stop for Nauroji Nagar commuters; and

(d) if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) DTC has intimated that it is a regular practice with it to carry out surveys wherever felt necessary or on receipt of complaint or on public demand for additional services on a specific route or segment of the route. As a result, if the demand is justifiable depending upon availability of additional buses, the services are increased. This is a continuous process.

(b) Yes, Sir.

(c) Although, the existing level of services on route No. 610 are adequate, yet for the convenience of office goers, a number of special trips on route No. 610 have been provided from Nauroji Nagar main stand for Central Secretariat during the morning peak hours. It is not a fact that buses on route No. 610 do not stop at 'M' Avenue stop.

(d) Does not arise.

Road Accidents

3432. SHRI B. V. DESAI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it has been studied that Road accidents rate is highest in India in comparison to other countries;

(b) if so, the main reasons for the same;

(c) whether the average fatality rate per 10,000 motor vehicles in our country was about 60 per cent as against 5 to 15 per cent in most developed countries;

(d) whether it is a fact that road accidents in India claim nearly 14,000 lives every year;

(e) if so, the steps being taken to reduce the number of road accidents; and

(f) the extent to which the position has improved?